अनुसूची 14 - फारम सं0 563

आदेश का क्रम पंख्या और तारीख

1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

3

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 22 आर० 15 / 2022-23

बनाम्

आदेश

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने विद्वान उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 80 आर० 15/2019–20 मे पारित आदेश दिनांक 12.01.2021 के विरूद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची ने अंचलाधिकारी, काँके द्वारा दाखिल खारिज वाद सं०–4020 आर० 27/2018–19 एवं 3997 आर० 27/2018–19 में क्रमशः दिनांक 10.12.2018 को पारित आदेश को विखंडित करते हुए उक्त वाद को ॲचल अधिकारी, कॉके को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि वे उभय पक्ष को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए तथा उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की पूरी जाँच–पड़ताल कर नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

प्रार्थी के विक्रेता संजय सिंह पिता अभिमन्यु सिंह ने मौजा होचर, थाना सं० 158, जिला रॉची के खाता सं० 5, प्लॉट सं० 2045 रकबा 4 डिसमिल एवं 7 डिसमिल भूमि के नामान्तरण हेतु ॲचल अधिकारी, काँके, राँची के समक्ष दाखिल खारिज वाद सं० 4020 आर० 27 / 2018–19 एवं 3997 आर० 27 / 2018–19 क्रमशः दायर किया, जिसे अंचल अधिकारी कॉके के द्वारा आदेश दिनांक 10.12.2018 द्वारा स्वीकृत किया गया। विपक्षी ने अंचल अधिकारी कॉके द्वारा पारित उक्त आदेश

<u>07</u> 10.07.2023

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई\ कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

3

2

दिनांक 10.12.2018 के खिलाफ उपरोक्त दा० खा० अपील वाद सं० 80 आर० 15/2019–20 दायर किया, जिसमे विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने दिनांक 12.01.2021 को पारित आदेश द्वारा उभय पक्षों को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए तथा उनके द्वारा समर्पित दस्तावेज की पूरी जॉच पड़ताल करने के उपरान्त विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु उक्त नामान्तरण वाद को ॲचलाधिकारी कॉके को प्रतिप्रेषित किया गया।

विगत तिथि को बार बार पुकार करने पर भी प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। अतः विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् यह पुनरीक्षण वाद अंतिम आदेश पारित करने हेत् निर्धारित किया गया ।

प्रार्थी के द्वारा दायर अपील के अनुसार – मौजा होचर, थाना सं० 158, जिला रॉची के खाता सं० 5, प्लॉट सं० 2045 रकबा 2.28 एकड भूमि आर० एस० खतियान मे अचरज अहीर के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत अचरज अहीर अपने पीछे दो पुत्र किशुन गोप एवं बिशुन गोप छोड़ गये। बिशुन गोप अपने पीछे तीन पुत्र सुकरा गोप, लालु गोप एवं गोलु गोप छोड़ गयें, जिनमे से उक्त सुकरा गोप अपने पीछे चार पुत्र बुधु गोप, सुधु गोप एवं प्रदीप गोप एवं कुलदीप गोप छोड़ गये। बुधु गोप ने अपने हक एवं हिस्से मे प्राप्त उपरोक्त मौजा होचर, थाना सं० 158, जिला रॉची के खाता सं० 5, प्लॉट सं० 2045 मधे 7 डी० भूमि निबंधित पट्टा सं० 3576 / 3379 दिनांक 11.05.2018 द्वारा संजय सिंह को हस्तांतरित कर दिया।

उपरोक्त खरीदगी के पश्चात् उक्त संजय सिंह मौजा होचर, थाना सं० 158, जिला रॉची के खाता सं० 5, प्लॉट सं० 2045 मधे 7 डी० भूमि पर दखलकार हुए तथा ॲचल अधिकारी, कॉके द्वारा विधिवत जॉच पड़ताल कर दाखिल खारिज वाद सं० 3997 आर० 27 / 2018–19 द्वारा उपरोक्त भूमि का नामान्तरण संजय सिंह के नाम से स्वीकृत हुआ।

खतियानी रैयत के अन्य पुत्रों में उपरोक्त किशुन गोप अपने पीछे चार पुत्र जतू गोप, कालीचरण गोप, शिवचरण गोप एवं बीरेन्द्र गोप

अनुसूची 14 - फारम सं0 563

,।देश का क्रम ,ख्या और तारीख

1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

3

छोड़ गये, जिनमे से उक्त बीरेन्द्र गोप अपने पीछे एकमात्र पुत्री काजल कुमारी छोड़ स्वर्गवास हो गये। उपरोक्त जतु गोप एवं काजल कुमारी ने अपने हक एव हिस्से मे प्राप्त उपरोक्त मौजा होचर, थाना सं० 158, जिला रॉची के खाता सं० 5, प्लॉट सं० 2045 मधे 4 डी० भूमि को उपरोक्त संजय सिंह को निबंधित पट्टा सं० 6630/6246 दिनांक 30.11.2017 द्वारा हस्तांतरित कर दिया।

. 3

उपरोक्त खरीदगी के पश्चात् उक्त संजय सिंह मौजा होचर, थाना सं० 158, जिला रॉची के खाता सं० 5, प्लॉट सं० 2045 मधे 4 डी॰ भूमि पर दखलकार हुए तथा ॲचल अधिकारी, कॉके द्वारा विधिवत जॉच पड़ताल कर दाखिल खारिज वाद सं० 4020 आर॰ 27 / 2017–18 द्वारा उपरोक्त भूमि का नामान्तरण संजय सिंह के नाम से स्वीकृत हुआ।

उपरोक्त संजय सिंह ने तत्पश्चात् मौजा होचर, थाना सं० 158, जिला रॉची के खाता सं० 5, प्लॉट सं० 2045 मधे 11 डी० भूमि निबंधित पट्टा सं० 6346 दिनांक 29.07.2022 द्वारा प्रार्थी को हस्तांतरित कर दिया।

विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – विपक्षी ने मौजा होचर, थाना सं० 158, जिला रॉची के खाता सं० 5, प्लॉट सं० 2045 मधे 1 एकड़ 41 डी० भूमि पॉच निबंधित पट्टो के माध्यम से क्रय किया है तथा अपने नाम से नामान्तरण कराकर उपरोक्त भूमि का लगान सरकार को अदा करते चले आ रहे है।

विपक्षी ने खतियानी रैयत के वंशज शिवचरण गोप पिता स्व० किशुन गोप द्वारा एटोर्नी होल्डर रामलाल साहु से मौजा होचर, थाना सं० 158, जिला रॉची के खाता सं० 5, प्लॉट सं० 2045 मधे 36 डी० भूमि निबंधित पट्टा सं० 2132/1885 दिनांक 21.03.2015 द्वारा क्रय किया तथा खरीदगी के पश्चात् उपरोक्त भूमि का नामान्तरण विपक्षी के पक्ष मे दा० खा० वाद सं० 320 आर० 27/2015–16 द्वारा स्वीकृत हुआ।

विपक्षी ने खतियानी रैयत के वंशज सुनीता देवी स्व० गलु गोप द्वारा एटोर्नी होल्डर निशिकांत सिंह पिता डॉ० बी० बी० सिंह से मौजा

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख

1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

3

होचर, थाना सं० 158, जिला रॉची के खाता सं० 5, प्लॉट सं० 2045 मधे 36 डी० भूमि निबंधित पट्टा सं० 2196/1941 दिनांक 25.03.2015 द्वारा क्रय किया तथा खरीदगी के पश्चात् उपरोक्त भूमि का नामान्तरण विपक्षी के पक्ष मे दा० खा० वाद सं० 156 आर० 27/2015–16 द्वारा इवीकृत हुआ।

. 4

विपक्षी ने खतियानी रैयत के वंशज जटु गोप पिता—स्व० किशुन गोप से मौजा होचर, थाना सं० 158, जिला रॉची के खाता सं० 5, प्लॉट सं० 2045 मधे 34 डी० भूमि निबंधित पट्टा सं० 5045/4545 दिनांक 24.07.2015 द्वारा क्रय किया तथा खरीदगी के पश्चात् उपरोक्त भूमि का नामान्तरण विपक्षी के पक्ष मे दा० खा० वाद सं० 5318 आर० 27/2015—16 द्वारा स्वीकृत हुआ।

विपक्षी ने खतियानी रैयत के वंशज मुन्दर देवी स्व० सुधू गोप, प्रदीप गोप एवं कुलदीप गोप पिता स्व० सुकरा गोप द्वारा एटोर्नी होल्डर निशिकांत सिंह पिता डॉ० बी० बी० सिंह से मौजा होचर, थाना सं० 158, जिला रॉची के खाता सं० 5, प्लॉट सं० 2045 मधे 27 डी० भूमि निबंधित पट्टा सं० 5044/4544 दिनांक 24.07.2015 द्वारा क्रय किया तथा खरीदगी के पश्चात् उपरोक्त भूमि का नामान्तरण विपक्षी के पक्ष मे दा० खा० वाद सं० 5320 आर० 27/2015–16 द्वारा स्वीकृत हुआ।

विपक्षी ने खतियानी रैयत के वंशज चन्देश्वर गोप पिता स्व० गल्लु गोप द्वारा एटोर्नी होल्डर धन्नजय कुमार मिश्रा से मौजा होचर, थाना सं० 158, जिला रॉची के खाता सं० 5, प्लॉट सं० 2045 मधे 7.75 डी० भूमि निबंधित पट्टा सं० 2197/1942 दिनांक 25.03.2015 द्वारा क्रय किया तथा खरीदगी के पश्चात् उपरोक्त भूमि का नामान्तरण विपक्षी के पक्ष मे दा० खा० वाद सं० 584 आर० 27/2015–16 द्वारा स्वीकृत हुआ।

उपरोक्त खरीदगी के पश्चात् विपक्षी प्रश्नगत भूमि पर चहरदिवारी का निर्माण कराकर वर्ष 2015 ई० से ही दखलकार चले आ रहे है। विद्वान ॲचल अधिकारी कॉके द्वारा दखल की बिन्दु एवं पंजी II की सही जॉच किये बगैर ही प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण प्रार्थी के विक्रेता संजय सिंह के पक्ष मे किया गया, जो गलत है।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

ांदेश का क्रम ख्या और तारीख

1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

3

प्रार्थी द्वारा विपक्षी के खिलाफ धारा 144 सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत वाद सं० एम० 1998/2018 दायर किया गया था, जिसे विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त कर दिया गया। विपक्षी ने ॲचल अमीन के माध्यम से प्रश्नगत भूमि का सीमांकन कराया है, जिसमे प्रश्नगत भूमि को विपक्षी के दखल मे प्रतिवेदित किया गया है।

5

प्रार्थी को प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद दायर करने का कोई अधिस्थति (locus standi) प्राप्त नही है।

विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि दाखिल खारिज अपील वाद सं० 80 आर० 15/2019-20 मे विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने आदेश दिनांक 12.01.2021 द्वारा अंचलाधिकारी, काँके के द्वारा प्रार्थी के विक्रेता संजय सिंह के पक्ष में प्रश्नगत भूमि से संबंधित दाखिल खारिज वाद सं०-4020 आर० 27 / 2018-19 एवं 3997 आर० 27 / 2018–19 में पारित स्वीकृति आदेश क्रमशः दिनांक 02.02.2018 एवं 10.12.2018 को विखंडित कर दिया था। प्रार्थी ने मौजा होचर, थाना सं० 158, जिला रॉची के खाता सं० 5, प्लॉट सं० 2045 मधे 11 डी० भूमि निबंधित पटटा सं० 6346 दिनांक 29.07.2022 द्वारा उपरोक्त संजय सिंह से प्राप्त किया है। जिस समय प्रार्थी ने भूमि क्रय किया था, उस समय प्रार्थी के विक्रेता संजय सिंह के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरण आदेश को अपीलीय न्यायालय द्वारा विखंडित कर दिया गया था। उपरोक्त आदेश के खिलाफ निम्न न्यायालय के पक्षकार अर्थात प्रार्थी के विक्रेता संजय सिंह को पुनरीक्षण वाद दाखिल करना था, परन्तु उनके द्वारा यह पुनरीक्षण वाद दायर नही किया गया है, अतः प्रार्थी को प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद दायर करने का कोई अधिस्थति (locus standi) प्राप्त नहीं है।

अतः यह पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत किया जाता है तथा विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 80 आर० 15/2019–20 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2021 को बहाल रखा जाता है।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची एवं

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम आदेश पर की गई संख्या और तारीख कारवाई के बारे मे आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर टिप्पणी, तारीख के साथ। 1 2 3 . 6 अंचल अधिकारी, कॉके ॲचल रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई 120 हेतु प्रेषित करे। 1 ्र लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त रॉची उपायुक्त रॉची

the state